सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/ATY-149/JH/16/2021-RO-RNC   दिनांक : 08.10.2024

सेवा मे,

श्री राहुल कुमार सिन्हा
उपायुक्त,
जिलारांची -,
कलेक्टर कार्यालय,
ब्लॉकए-, कचहरी चौक,
जिलारांची -, झारखंड -834001
Email Id: dc-ran@nic.in

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला रांची -,
एसएसपी कार्यालय,
जिलारांची-, झारखंड -834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: राँची जिले के थानाढ़मूबु -अंचल+प्रखण्ड+, के मौजा ०उसकू के खाता नं -2, प्लॉट न०-207, रकबा - एक एकड़12 डीसमिल में अनुसूचित जनजाति के पूर्वजों की भूमि से उसी गाँव के दबंगों द्वारा धान की फसल लूटे जाने के सम्बन्ध में पीड़ित श्री कजरू उरांव, ग्रामचोड़ा -, थानाचान्हो -अंचल+प्रखण्ड+, जिलाराँची- का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2024 को **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्टकी गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर .मीना /H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID :hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री कजरू उरांव,
ग्रामचोड़ा -, थानाचान्हो -अंचल+प्रखण्ड+,
जिलाराँची-, पिन -835214
मो० -8757590249

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-149/JH/16/2021-RO-RNC

राँची जिले के थाना +प्रखण्ड+अंचल-बुढ़मु के मौज़ा खाता न. 2, प्लॉट न. 207, रकबा- एक एकड़ 12 डिसमिल में अनुसूचित जनजाति के पूर्वजों की भूमि से उसी गाँव के दबंगों द्वारा धान की फसल लूट ले जाने के संबंध में पीड़ित श्री कजरू उराउ ग्राम- चोड़ा, थाना+प्रखण्ड+अंचल – चांहों जिला रांची के अभ्यावेदन के संबंध में दिनांक 27.08.2024 को 09:30 बजे आयोग के माननीय सदस्या (डॉ आशा लकड़ा) के समक्ष राजकीय अतिथिशाला मोहराबादी रांची में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक : 27.08.2024 को 05:40 बजे
सिटिंग/ सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायतकर्ता ने आयोग को इस मामले में बताया कि उसके खेत से कुछ दबंगों ने दबंगई से उनकी फसल काट ली थी जिसके संबंध में वह बुरमु थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया जहा पर पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया गया इसके बाद उसने SSP कार्यालय जाकर भी शिकायत दिया लेकिन फिर भी बुरमु थाने ने मामला दर्ज नही किया अंत में उसने आयोग में शिकायत दर्ज की

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में सम्बंधित प्राधिकारियों से प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पायें जाने पर आयोग के माननीय सदस्या (डॉ आशा लकड़ा) ने दिनांक 27.08.2024 को सभी संबन्धित प्राधिकारियो के साथ सिटिंग/ सुनवाई तय की गयी तदनुसार सभी संबन्धित को सिटिंग हेतु पत्र जारी किए गए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel : 011-24657271 ...

3. मामले में उपायुक्त, जिला - रांची, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची, झारखंड और शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुए।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई थी:-

- मामले में जिला उपायुक्त रांची विवादित भूमि के रिकॉर्ड की जाँच कर शिकायतकर्ता को उसका मालिकाना हक़ प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे
- मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 15 दिवस में रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करे

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-149/JH/16/2021-RO-RNC

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o the Deputy Commissioner, Ranchi and Officers from O/o the Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Shri Rahul Kumar Sinha, Deputy Commissioner, Ranchi
Shri Chandan Kumar Sinha, Sr. Superintendent of Police, Ranchi

Petitioners

Shri Kajru Oraon

Floor,